

बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत विद्यालय प्रबन्ध समिति नियमावली, 1978

विद्या विभाग

अधिसूचना
24 मई 1978

* अराजकीय संस्कृत विद्यालय की प्रबन्ध समितियों के गठन संबंधी सलग्न नियमावली का अनुमोदन किया है। यह सम्पूर्ण बिहार राज्य के उप-शास्त्री स्तर तक के मान्यता-प्राप्त सभी अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के लिये आवश्यकर होगी।

2. यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

अध्याय—1

संस्कृत नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत विद्यालय की प्रबन्ध समिति नियमावली, 1978 कही जायेगी।

(2) इसका प्रभाव केवल सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा और राज्य के उप-शास्त्री स्तर तक के सभी मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के लिये यह आवश्यकर होगी।

(3) यह नियमावली बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी और समिति के अन्तर्गत प्रबन्ध समितियों का गठन आरम्भ हो जायेगा। नई समिति के साथ ही पुरानी समिति या तदर्थ समिति जो जहाँ है स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अध्याय—2

परिभाषा—जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में—

(क) “प्रधानाध्यापक” से अभिप्रेत है उप-शास्त्री स्तर तक के किसी भी मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का प्रधान जिसका पदनाम जो भी हो।

(ख) “शिक्षक” से अभिप्रेत है किसी भी मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालय का शिक्षक।

(ग) “शिक्षकेतर कम्पनीरी” से अभिप्रेत है शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी पुण्यकालिक कम्पनीरी।

(घ) “विद्यालय” से अभिप्रेत है मान्यता-प्राप्त उप-शास्त्री स्तर तक के निम्नलिखित अराजकीय संस्कृत विद्यालय—(1) प्राथमिक संस्कृत

विद्यालय, (2) मध्य संस्कृत विद्यालय, (3) माध्यमिक संस्कृत विद्यालय, (4) उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय।

८ दाता महाराज-

- (उ) "परिषद्" से अभिप्रेत है बिहार मंस्कृत शिक्षा परिषद्।
 (च) "समिति" से अभिप्रेत है किसी मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालय की प्रबन्ध समिति।

卷之三

1. विद्यालय-प्रबन्ध-समिति का संवर्गन—(1) “उप-शास्त्री” स्तर तक के प्रत्येक मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालय के लिये निम्नांकित महस्यों को संघर्षन होया—

(क) संबद्ध विचाराय का प्रधानाध्यापक—पदेन
 (ख) एक शिक्षक प्रतिनिधि, जिसे प्रधानाध्यापक

इस प्राचीनकालीन विद्यालय में शिक्षण-सेवा अवधि के आधार पर वरीयता के अनुसार वार्षिक चक्रवान् रसों के द्वारा उपलब्ध करती है।

(ग) स्थानीय विधान सभा सदस्य/परिषद् सदस्य (यदि उस क्षेत्र में हो) तथा लोक सभा सदस्य और राज्य सभा सदस्य (यदि उस क्षेत्र में हो) तथा श्रेणीय प्रखड़ विकास पदाधिकारी या संस्कृत परिषद्

(ध) दो 'दाता सदस्य, जिन्होंने चल या अच

द्वाना रूपा में न्यूनतम दो हृजार रूपये विद्यालय को दान दिया हो, किन्तु चल सम्पत्ति के रूप में दी गई दान राशि विद्यालय के पास ब्रुक में जमा की गई हो तथा अचल सम्पत्ति के रूप में दी गई सम्पत्ति का उपयोग विद्यालय में हो रखा हो और वह विद्यालय प्रबन्ध-समिति के पूर्ण नियंत्रण में हो। दाता सदस्यों की घोषणा (आजीवन दाता एवं सामान्य दाता) आवश्यक छानबीन कर अध्ययन, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद करें।

(८) दो बालभावक प्रतिनिधि, जो सबद्ध विद्यालय के ऐसे नियमित छात्रों का अधिभावक हो जो कम-से-कम एक वर्ष से उस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हों और जो उस विद्यालय का शिक्षक या शिक्षकोंतर कमचारी नहीं हों।

(८) दा-शंस्कृ-प्रभा, जिनमें एक संस्कृत का लब्धप्रतिष्ठित विद्वान् हो। यदि संस्कृत का लब्धप्रतिष्ठित विद्वान् उपरबूँध नहीं हो तो उसके स्थान पर किसी संस्कृतजुरागी विद्वान् को लिया जा सकेगा। उपर्युक्त ९ सदस्यों की विद्यालय प्रबन्ध समिति संचालित की जायेगी।

(क) जहाँ दो से अधिक दाता हों वहाँ प्रत्येक तीन वर्ष पर चक्रानुक्रम से दाता सदस्य चुने जायेंगे, प्रथमतः दाता ओं के द्वारा दो गई दान-राशि के आधिक्य को आधार मानकर और दाता राशि समान रहने पर दान को तिथि की अथवा तिथि की समानता में लौटरी पढ़ति को आधार मानकर सदस्य-चयन में प्राप्तमिकता का कम निश्चित होगा।

(ब) जहाँ दाता सदस्य उपलब्ध नहीं होगे, वह पद तब तक रिक्त होगा जब तक उक्त कोटि के दाता उपलब्ध नहीं होगा।

(ग) दारा सदस्य के रूप में वैसे दोष भी सदस्य हो सकते जो न्यूनतम दो हजार रुपये अधिकतम तार किलोमीटर में दो वर्षों के भूतिर विद्यालय को सप्रामाण दान देते किन्तु दारा राशि पूरी होने के बाद ही वे सदस्य होने के अधिकारी माने जायेंगे।

3. आजीवन सदस्य—इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के बाद जो वर्किंग कम्पनी-कम 25 हजार रुपये की चल या अचल सम्पत्ति के लिए में या दोनों रूप में विद्यालय को सप्रभाव दान देगा अथवा दिया होगा वह विद्यालय प्रबन्ध समिति का आजीवन सदस्य होगा। आजीवन सदस्य एक से अधिक भी हो सकें।

4. प्रबन्ध समिति के संघटन की प्रक्रिया—

(क) बिहार गजट में इस नियमावली के प्रकाशन के पश्चात और बिहार

संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा इस सम्बन्धित में आदेश की मासूचना के प्रत्यक्ष दिनों के भीतर, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विधायक या सरकारी पदाधिकारी अथवा प्रबल शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कुल तीन सदस्यों की नामिका, जहाँ एक ही दाता सदस्य हो, वहाँ कुल चार सदस्यों की नामिका तथा जहाँ दो दाता सदस्य हों, वहाँ पांच सदस्यों की नामिका विहार संस्कृत शिक्षा परिषद् को अनुमोदनार्थ भेजी जायेगी। उक्त नामिका विद्यालय का प्रधानाध्यापक निवंधित डाक द्वारा भेजेगा।

(ख) बिहार संस्कृत प्रशिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नामिका की प्राप्ति के पत्रह दिनों के शीतर निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक अनुमोदित

सदस्यों का कम-से-कम एक सप्ताह का सप्रमाण पुर्व सूचना देकर बिड़ालय भवन में नियंत्रक का आगोजन करेगा जिससे नई अधिकारी

(ग) उक्त बैठक में अनुमोदित सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा जिसको अध्यक्षता में चयन कार्य सम्पन्न किया जायेगा । अध्यक्ष सहित तीन या पाँच अनुमोदित सदस्यों की स्थिति में पक्ष-विपक्ष में समान मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णयिक होगा । चार अनुमोदित सदस्यों की स्थिति में, अध्यक्ष अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेगा ।

(घ) उक्त चयन प्रार्क्या पुरी हो जाने के 15 दिनों के भीतर सभी सदस्यों की कम-से-कम एक सप्ताह की सप्ताहाण पर्व सूचना देकर प्रधानाध्यापक विद्यालय-भवन में बैठक का आयोजन करेगा । उपस्थित सदस्यों में से कोई एक इस बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और सचिव का चुनाव संबंधित या बहुमत से किया जायेगा । इस बैठक में न्यूनतम पाँच सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी । प्रधानाध्यापक और शिक्षक प्रतिनिधि विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष या सचिव नहीं चुने जायेंगे ।

(ङ) संघटित विद्यालय प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची एक सप्ताह के भीतर प्रधानाध्यापक निर्विधित डाक से बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् 21 दिनों के भीतर अनुमोदन भेज देगा । बिहार अनुमोदन के पश्चात ही विद्यालय प्रबन्ध समिति अपना कार्यालय कर सकेगी । अनुमोदित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । प्रथम तीन वर्ष के बाद समिति का संघटन या पुनः संघटन किया जायेगा ।

(च) जब तक इस नियमावली के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति का या उसके स्थान पर तदर्थ समिति का संघटन नहीं हो जाता, विद्यालय की पुरानी प्रबन्ध समिति संस्कृत शिक्षा परिषद् की अनुमति से कार्य करती रहेगी परन्तु पुरानी प्रबन्ध समिति का कार्यकाल अधिक-से-अधिक 6 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा ।

अध्याय—4

1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के कृत्य और शक्तियाँ—राज्य सरकार के शिक्षा

विभाग और बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा पारित नियमों, आदेशों तथा समय-समय पर दिये जानेवाले नियमों के अधीन विद्यालय प्रबन्ध समिति को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह ऐसे सभी कृतियों का प्रयोग करेगी जो विद्यालय के समुचित प्रबन्ध और प्रशासन एवं विकास के लिये आवश्यक हैं । इसके अतिरिक्त प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) ऐसी कोई चल या अचल सम्पत्ति जो विद्यालय के प्रयोजनानुसार हो जावश्यक हो, बान लेना, कृपय करना या पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा

धन अर्जित करना और विद्यालय के लिये भवन निर्माण, निर्मित भवन में परिवर्तन, मरम्मत या विकास कार्य पर व्यय करना तथा विद्यालय सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना,

(ख) विद्यालय के प्रयोजनानुसार अनुदान, चन्दा और दान प्राप्त करना,

(ग) वैसे सभी धन, जो उसे अनुदान, दान और अन्य स्रोत से उपलब्ध हो उसका उचित लेखा एवं मुस्गत अभिलेख रखना, लेखा का वार्षिक विवरण तेलार करना तथा विद्यालय की लेखा संपर्क करना,

(घ) व्यय को उपलब्ध निधि के भीतर विनियमित करना,

(ङ) आत्मवित्त, पारितोषिक आदि के लिये सरकारी अनुदान के अंतिरिक्त धन की व्यवस्था करना,

(च) छात्राचास की स्थापना, विद्यालय के लिये कोडा भूमि, उपस्कर्ता एवं पुस्तकालय की सम्यक व्यवस्था करना,

(छ) ऐसी उप-समितियाँ संघटित करना जिन्हें वह आवश्यक समझे,

(ज) विद्यालय की ओर से सभी वैधानिक कार्यवाहियाँ करना और अनुचित आरोपों का प्रतिवाद करना,

(झ) विद्यालय के लिये और उसकी ओर से कारार करना,

(ट) विद्यालय में अनुसासन कार्यम रखना और शैक्षणिक स्तर के उच्चयन के लिये प्रधानाध्यापकों को समुचित सलाह देना,

(ठ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति अवकाश आदि के मामले में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचित अवारोजकीय संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिये सेवा शर्त नियमावली, 1976 के आलोक में कार्य करना,

(इ) वैसे सभी कार्य करना जो विद्यालय के हित में आवश्यक हो ।

2. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सचिव के कृत्य और शक्तियाँ

(क) विद्यालय प्रबन्ध समिति के सचिव के कृत्य और शक्तियाँ वे ही होंगी, जो इस नियमावली के अध्याय 4 में वर्णित हैं और जिनका

प्रयोग सचिव प्रबन्ध समिति के परामर्श से कर सकेगा ।

(ख) विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक सचिव, कम-से-कम दस दिनों की दूर्वा सूचना देकर बुलायेगा । विशेष स्थिति में तीन दिनों की दूर्वा

मूचना देकर समिति की असाधारण बैठक बुला सकेगा । निश्चित निष्ठा और समय की रूपे मूचना के साथ समिति की साधारण या असाधारण बैठक विचालय भवन में ही हुआ करेगी ।

(ग) बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत उच्च विचालय सेवा गते नियमों वर्ती 1976 के अध्याय 5 में उल्लिखित नियमों के आलोक में प्रशानाध्यापक के आकर्स्मक अवकाश को सचिव स्वीकृत करेगा ।

3. विचालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के कृत्य और शक्तियाँ—

(क) अध्यक्ष, विचालय प्रबन्ध समिति की साधारण/असाधारण सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(ख) समिति की बैठक में समान मत आने पर अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा जो नियायिक होगा ।

(ग) सचिव यदि विचालय की प्रबन्ध समिति की बैठक समय पर नहीं उल्लिखित और यदि विचालय के हित में बैठक बुलाया जाना आवश्यक प्रतीत हो तो प्रशानाध्यापक के परामर्श से अध्यक्ष बैठक बुला सकेगा ।

(घ) समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से एक अध्यक्ष नियमित होगा, जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

अध्याय—5

1. तदर्थ समिति—

(क) बिहार नगर ये इस नियमावली के प्रकाशन और परिषद् द्वारा विचालयों को प्रबन्ध समिति के संघटन के आदेश की संसुचना प्राप्ति तिथि से 90 दिनों के भीतर विचालय प्रबन्ध समिति का संघटन आवश्यक होगा । उक्त अवधि के भीतर विचालय प्रबन्ध समिति को एक मास का समय देकर परिषद् स्पष्टीकरण की मांग करेगी और उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने अथवा संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव की स्थिति में परिषद् को अधिकार होगा कि वह विचालय प्रबन्ध समिति के स्थान पर तदर्थ समिति संघटित कर दे ।

(ख) तदर्थ समिति की शक्तियाँ और कृत्य ये ही होंगी जो दियालय प्रबन्ध समिति के लिये इस नियमावली में निर्दिष्ट किये गये हैं ।

(ग) तदर्थ समिति में कुल तीन या पांच सदस्य होंगे जिनमें एक सचिव और एक अध्यक्ष होंगा । प्रशानाध्यापक भी इसका सदस्य है ।

सकेगा किन्तु वह सचिव या अध्यक्ष नहीं होगा । तदर्थ समिति का नामकात्मक अधिकार 6 मास होगा । विशेष परिस्थित में लः-लः मास की अनुचित दो बार बढ़ायी जा सकेगी ।

2. विचालय का प्रबन्ध प्रदर्शन—

(क) तदर्थ प्रबन्ध किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी जब परिषद् को प्रतीत हो कि किसी विचालय की प्रबन्ध समिति ने इस नियमावली में विनियित नियमों उत्तियनियमों के द्वारा या उसके अधीन इस पर आरोपित कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा बरती है, या वह विचालय के समुचित प्रबन्ध में असफल रही हो और लोकहित में ऐसे विचालय का प्रबन्ध ग्रहण करना आवश्यक हो गया हो तब वह ऐसे विचालय की प्रबन्ध समिति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अधिकार देकर, और उसकी बातों को लिखित रूप में प्राप्त कर, स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर ऐसे विचालय की प्रबन्ध समिति का विचालन कर, तदर्थ समिति संचालित कर देगी और कितनी अवधि के बाद नई प्रबन्ध समिति प्रबन्ध ग्रहण कर लेगी यह नियित करेगी किन्तु इस प्रकार की अवधि कुल डे-इन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ख) विशेष परिस्थित में, यदि परिषद् आवश्यक समझे तो ऐसे विचालय की प्रबन्ध समिति को तबतक के लिये निलंबित कर सकेगी, जब तक प्रबन्ध समिति के विचालन के संबंध में नियंत्रण नहीं हो जाता । ऐसे विचालय का प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के हारा होगा ।

3. विचालय प्रबन्ध समिति के संघटन के संबंध में विवाद का निपटारा—
इस नियमावली के अध्याय 3 में वर्णित विचालय प्रबन्ध समिति के संघटन संबंध नियमों में उल्लंघन के बाद या उसकी अवहेलना से व्यवित पद विचालय प्रबन्ध समिति के संघटन के बाद 15 दिनों के भीतर परिषद् के पास आरोप-पत्र प्रस्तुत कर सकेगी, उस अवधि के बाद उसकी मुनवाई नहीं होगी । नियंत्रण अवधि के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसकी छातवीन के परिचात परिषद् पदाविष्कार की बातें मुनक्कर अपना नियंत्रण देगी, जो अंतिम होगा ।

4. विचालय प्रबन्ध समिति की बैठक—सामान्यतः वर्ष में विचालय प्रबन्ध समिति की चार बैठकें हुआ करेंगी । न्यूनतम चार सदस्यों की उपस्थिति किसी भी बैठक में आवश्यक होगी । पदेन दाता तथा आजीवन सदस्यों को छोड़कर यदि कोई सदस्य लगातार समिति की तीन बैठकों में बिना सुनिच्छा कारण के अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उस रिक्त में यथोचित नये सदस्य की नियुक्ति की जा सकेगी । अनुपस्थिति के कारण के अन्तिम पर भी समिति ही नियंत्रण लेगी और वह नियंत्रण अंतिम होगा ।

5. दाता सदस्यों द्वारा प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था—यदि दाता सदस्य चाहे तो

विद्यालय प्रबन्ध समिति की पुरी अवधि के लिये वे अपने स्थान पर किसी का प्रतिनियोजित कर सकेंगे ।

6. विद्यालय की स्थायी सम्पत्ति का वित्तिमय और विक्रय—विद्यालय के विशेष हित को ध्यान में रखते हुये यदि उसकी स्थायी सम्पत्ति का वित्तिमय या विक्रय आवश्यक प्रतीत हो तो विद्यालय प्रबन्ध समिति परिषद् की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही गेसा कर सकेंगे किन्तु वित्तिमय या विक्रय से होनेवाले लाभ को सम्पाण परिषद् को सूचित करना उसके लिये आवश्यक होगा ।

6 (क) विद्यालय के सभी अभिलेख विद्यालय कार्यालय में ही सुरक्षित रखे जायेंगे ।

7. (क) नियमावली में परिवर्तन-परिवर्द्धन—इस नियमावली के नियमों और उपनियमों में परिवर्तन और परिवर्द्धन आवश्यकतानुसार बिहार संस्कृत विद्यालय सरकार के अनुमोदनोपरान्त कर सकेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-प्रणवशक्ति मुख्योपद्याय,
सरकार के विशेष सचिव ।